"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2016— ज्येष्ठ 4, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोग सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	तहसील कार्यालय	भूमि का सीमांकन	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
13.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित नामांतरण	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
		(ब) अविवादित नामांतरण	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित बंटवारा	3 माह	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) अविवादित बंटवारा	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी"

No. F-4-124/7-3/2011. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No. (1)	Name of Office/ Body/ Agency (2)	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (3)	Time Period of providing Services (working day) (4)	Designated Officer providing Service (post) (5)	Competent Officer (6)	Appellate Authority (7)
"12.	Tehsil Office	Demarcation of land	3 Month	Tehsildar/ Additional Tehsildar/ Naib Tehsildar	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
13.	Tehsil Office	(a) Undisputed Mutation	3 Month	Tehsildar/ Additional Tehsildar/ Naib Tehsildar	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
		(b) Undisputed Mutation	3 Month	Gram Panchayat	Tehsildar	Sub Divisional Officer
14.	Tehsil Office	(a) Undisputed division	3 Month	Tehsildar	Sub Divisional Officer	Collector
		(b) Undisputed division	3 Month	Gram Panchayat	Tehsildar	Sub Divisional Officer"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.